

# अभिरुचि हेतु अभिव्यक्ति

## विधि फर्मों का पैनल बनाने हेतु

### 1. शीर्षक :

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक शीर्ष निकाय है, जो भारत सरकार के लागू विधिक अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अनुसार भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रशासनिक अधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण, आयोग, अन्य न्यायिक अधिकारिता वाले मंच, माध्यस्थ आदि के समक्ष परिषद मुख्यालय एवं परिषद के संस्थानों/केंद्रों का विभिन्न कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी विधि फर्मों का पैनल बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

### 2. विधि फर्मों की आवश्यकता :

चयनित विधि फर्म कानूनी परामर्श प्रदान करने, रिट याचिका/याचिकाओं, मूल आवेदन/आवेदनों, वाद/वादों, वादपत्र/वादपत्रों, विधिक मत/मतों, प्रत्युत्तर शपथपत्र/वक्तव्य/वक्तव्यों, अनुबंध आदि तथा अन्य किसी भी विधिक दस्तावेज/दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने/पुनरीक्षण/विधिक्षा करने और परिषद मुख्यालय, परिषद के संस्थानों/केंद्रों की सेवा की प्रकृति, अनुबंध, नागरिक, आपराधिक तथा अन्य संबंधित मामलों का विभिन्न न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरण, आयोग तथा अन्य न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक मंचों के समक्ष या परिषद द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगी।

### 3. कार्यप्रणाली :

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) मुख्यालय, नई दिल्ली को अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के निबंधनों एवं नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विधि फर्म का चयन करना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, न्यायिक अनुभाग, भारत सरकार के दिनांक 05.02.2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. J-12011/6/2025-Judicial/E.158060 के अनुसार सुसंगत शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।

## भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का आमंत्रण

विधि फर्मों का कार्य भारत सरकार के लागू विधिक अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अनुसार भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रशासनिक अधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण, आयोग, अन्य न्यायिक अधिकारिता वाले मंच, माध्यस्थ आदि के समक्ष परिषद मुख्यालय, परिषद के संस्थानों/केंद्रों का पक्ष रखना/बचाव करना है।

### सूची

#### 1. अभिरुचि-पत्र:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) मुख्यालय, नई दिल्ली माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रशासनिक अधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण, आयोग, अन्य न्यायिक अधिकारिता वाले मंच, माध्यस्थ आदि के समक्ष भारत में न्यायालयी मामलों/माध्यस्थता/याचिकाओं आदि एवं अन्य विधिक विवादों में परिषद का पक्ष रखने/बचाव करने के लिए अनुभवी विधि फर्मों से ईमेल के माध्यम से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

इस ईओआई दस्तावेज़ जिसमें पात्रता मानदंड का विवरण, प्रस्तुतीकरण का विवरण, संक्षिप्त उद्देश्य, कार्य का क्षेत्र तथा मूल्यांकन मानदंड आदि शामिल हैं, को परिषद की वेबसाइट <https://www.icmr.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

#### 2. आवेदकों के लिए समय-सारणी निम्नानुसार है:

ईओआई दस्तावेज़ सं.	ईओआई सं. आईसीएमआर/ईओआई/विधिक/2025 दिनांक: 31 सितंबर 2025
प्रकाशन की तारीख	23 फरवरी 2026
जमा करने की अंतिम तारीख/समय	09 मार्च 2026, सांय 5:30 बजे

नोट: अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) ईमेल के माध्यम से [legalcell@icmrhq@gmail.com](mailto:legalcell@icmrhq@gmail.com) पर भेजी जाए। केवल अल्प-सूचीबद्ध की गई विधि फर्मों से ही आगामी चयन प्रक्रिया के लिए संपर्क किया जाएगा। परिषद बिना किसी दायित्व अथवा ऐसे ईओआई के अनुरोध के प्रति बाध्यता या बिना कोई कारण बताए किसी भी ईओआई के अनुरोध को निरस्त करने तथा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस चरण में प्रदान की गई जानकारी केवल सांकेतिक है और परिषद के पास ईओआई में संशोधन/अतिरिक्त विवरण जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### पृष्ठभूमि:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्ली, जैव चिकित्सा अनुसंधान के विनिमयन, समन्वय और प्रोन्नति के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है और यह विश्व के सबसे प्राचीनतम चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। परिषद ने सदैव एक ओर जैव चिकित्सा अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रगति की बढ़ती हुई मांगों का समाधान करने का प्रयास किया है तो दूसरी ओर देश की स्वास्थ्य समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने के कार्य को भी पूरा किया है। भारतीय

आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने उस समय से लंबा सफर तय किया है जब यह आईआरएफए के नाम से ज्ञात था, परंतु परिषद इस तथ्य से भली-भांति अवगत है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास में अभी भी उसे बहुत कार्य करना है।

### 3. कार्य का विस्तृत क्षेत्र:

निबंधनों एवं शर्तों के अनुबंध के अनुसार, परिषद विधि फर्मों को भारत सरकार में लागू विधिक अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अनुसार भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रशासनिक अधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण, आयोग, अन्य न्यायिक अधिकारिता वाले मंच, माध्यस्थ आदि के समक्ष परिषद मुख्यालय और परिषद के संस्थानों/केंद्रों के बचाव के कार्यों में संलग्न करेगा। विधि फर्म परिषद और/या परिषद के संस्थानों/केंद्रों, जैसा भी मामला हो, के परामर्श से सभी प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगी और विधि फर्म परिषद के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात, आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित विधिक मंचों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

### 4. नियुक्ति की अवधि:

नियुक्ति की अवधि, नियुक्ति की तारीख से 1 वर्ष तक के लिए होगी, जिसे परिषद के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इस संबंध में निर्धारित अवधि के अंतर्गत विधि फर्म के कार्य-निष्पादन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

### 5. पात्रता मानदंड:

- (1) केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों अथवा प्रतिष्ठित संस्थानों आदि के लिए विधिक मामलों के संचालन में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव।
- (2) सेवा संबंधी मामलों, अनुबंधों, माध्यस्थता, प्रशासनिक विधि, नागरिक, आपराधिक तथा अन्य संबंधित विधिक मामलों में विशेषज्ञता।
- (3) विधि फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत पंजीकृत "कंपनी" या विधि के अनुसार एक "स्वामित्व फर्म" हो।
- (4) विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में मामलों के संचालन के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं श्रम-शक्ति।

### 6. पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी) :

न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी) निम्नलिखित होंगे। न्यूनतम पीक्यूसी (पीक्यूसी) को पूरा न करने वाले उत्तरों को सामान्य तौर पर रद्द कर दिया जाएगा और उनका आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा:

क्र. सं.	पूर्व-योग्यता मानदंड	अपेक्षित दस्तावेजों के समर्थन में प्रतियां (सभी दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-सत्यापित होने चाहिए)
1.	आवेदक एक कानूनी इकाई होगी, जो भारत में संबंधित कानूनों के तहत कंपनी अथवा स्वामित्व फर्म के रूप में पंजीकृत होगी।	उपर्युक्त पैरा 5(3) में उल्लेखित, यथा आवश्यक।
2.	आवेदक को भारत में कराधान और अन्य प्रशासनिक	पैन कार्ड तथा जीएसटी

	प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत होना चाहिए।	प्रमाण-पत्र
3.	आवेदक को अपने कार्य-क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।	दीर्घ काल से कार्य करने से संबंधित दस्तावेज़, पुस्तिका/प्रचार-पत्र/विवरण-पुस्तिका आदि।
4.	आवेदक को कम से कम पूर्ववर्ती 3 सालों (2023-2025) में किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र के द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो।	आवेदक के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई वचनबद्धता, (प्रारूप-2 के अनुसार)
5.	आवेदक को "कंपनी" या "स्वामित्व फर्म" के विरुद्ध किसी भी ऐसे प्रमुख मुकदमेबाज़ी में शामिल नहीं होना चाहिए, जो इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) तथा अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक शर्तों को प्रभावित करने या समझौता करने की स्थिति उत्पन्न करे।	आवेदक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई वचनबद्धता, (प्रारूप-3 के अनुसार)

#### 7. आवेदकों के लिए अनुदेश:

- (1) आवेदकों से अनुरोध है कि वे सभी कार्य-प्रणालियों, पात्रता मानदंडों, अपेक्षित पूर्व-योग्यताओं, निष्पादन के लिए कार्यक्षेत्र और अभिरुचि प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी/आर्थिक क्षमताओं से संबंधित आवश्यकताओं और परिषद के सत्यापन के अधीन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
- (2) पात्रता व पूर्व-योग्यता मानदंड के अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियां।
  - (क) केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या प्रतिष्ठित संस्थान के नियुक्ति-पत्र।
  - (ख) यदि विधि फर्म "कंपनी अधिनियम, 1956" (यथा-समय संशोधित) के अंतर्गत एक "कंपनी" है, तो कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) से विधि फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा/या स्वामित्व फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
  - (ग) विधि फर्म का पैन कार्ड तथा जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
  - (घ) संबंधित बैंक का अधिदेश प्रपत्र।
  - (ङ) अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड, नामित वरिष्ठ अधिवक्ता/गण तथा अधिवक्ता/गण का वकालत करने का लाइसेंस।
  - (च) पंजीकृत कार्यालय का पता।
  - (छ) कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक देना चाहें।

परिषद व्यापक दायरे में सीमित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां भी मूल्यांकन में उचित निर्णय के लिए ऐसा स्पष्टीकरण आवश्यक हो।

(3) **अस्वीकृति (रद्द करने) के मानदंड:**

आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है यदि:

- (क) प्रस्ताव ईओआई में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (ख) निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
- (ग) अपेक्षानुसार उचित रूप में हस्ताक्षरित नहीं है।
- (घ) नियत तारीख और समय की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ है।
- (ङ) सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- (च) प्रस्ताव बिना किसी भौतिक विचलन के पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, ऐसा न करने पर प्रस्ताव को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(4) **अस्वीकरण:**

- (क) किसी भी कारण से देरी से प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ख) परिषद बिना कोई कारण बताए ईओआई के आमंत्रण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (ग) परिषद अपने सर्वोत्तम हित में, बिना कोई कारण बताए, इस दस्तावेज में निर्धारित किसी भी शर्त में छूट दे सकता है या उसे माफ कर सकता है।
- (घ) आवेदकों से परामर्श के बाद या अन्यथा, किसी भी समय कार्यक्षेत्र में कोई अन्य मद शामिल करना।

(5) **मूल्यांकन पद्धति:**

ईओआई की स्क्रीनिंग ईओआई दस्तावेज में उल्लिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार और प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर की जाएगी। अल्पसूचीबद्ध आवेदकों को निष्पादन-करार भेजा जाएगा।

(6) किसी भी स्पष्टीकरण की स्थिति में कृपया निम्न से संपर्क करें:

रवि शंकर मीना  
अनुभाग अधिकारी  
वी. रामलिंगस्वामी भवन,  
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.  
ईमेल legalcellicmrhq@gmail.com  
फ़ोन नं. +91-9953300083

21.12.21  
जगदीश राजेश / JAGDISH RAJESH  
उपमहादेशिक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)  
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद / Indian Council of Medical Research  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)  
Department of Health Research (Ministry of Health & Family Welfare)  
वी. रामलिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029  
V. Ramalingaswami Bhawan, Ansari Road, New Delhi-110029

**प्रारूप -1**  
**अभिरुचि की अभिव्यक्ति**  
(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

**महानिदेशक,**  
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,  
वी. रामलिंगस्वामी भवन,  
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.

**विषय:** विधि फर्म की नियुक्ति के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का प्रस्तुतिकरण।

**संदर्भ:** ईओआई सं. परिषद/ईओआई/विधिक/2025 दिनांक 31 सितंबर 2025

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी विधि फर्म की नियुक्ति से संबंधित ईओआई के सभी दस्तावेजों को पढ़ने और जांचने के पश्चात एतद्वारा ईओआई दस्तावेज में उल्लिखित कार्य/कार्य-क्षेत्र को स्वीकार करने में अपनी अभिरुचि व्यक्त करता/करती है। विधि फर्म और संपर्क व्यक्ति की जानकारी निम्नानुसार है:

1.	आवेदक का नाम	
2.	पता	
3.	नाम, पदनाम, एवं पता, जिसके नाम सभी संदर्भ दिए जाएँगे	
4.	टेली फ़ोन नं. (एसटीडी कोड के साथ)	
5.	संबंधित व्यक्ति का मो. नं.	
6.	संबंधित व्यक्ति की ईमेल आईडी	

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

- (क) उपर्युक्त पैरा 5(3) में उल्लेखित, यथाआवश्यक।
- (ख) पैन कार्ड तथा जीएसटी प्रमाण-पत्र।
- (ग) दीर्घ काल से कार्य करने से संबंधित दस्तावेज, पुस्तिका/प्रचार-पत्र/विवरण-पुस्तिका आदि।

- (घ) आवेदक के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई वचनबद्धता, (प्रारूप-2 के अनुसार)।
- (ङ) आवेदक के पत्र-शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई वचनबद्धता, (प्रारूप-3 के अनुसार)।
- (च) उपर्युक्त पैरा 5(4) एवं 5(5) में उल्लेखित, यथाआवश्यक।
- (छ) कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक देना चाहें।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इसमें दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

धन्यवाद,  
भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:  
पदनाम:  
मोहर:

स्थान:  
दिनांक:

**प्रारूप-2**  
**ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित वचनबद्धता**  
(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,  
**महानिदेशक,**  
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,  
वी. रामलिंगस्वामी भवन,  
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

**विषय:** ब्लैकलिस्टिंग/अविवर्जन के संबंध में वचनबद्धता।

**संदर्भ:** ईओआई सं परिषद/ईओआई/विधिक/2025 दिनांक 31 सितंबर 2025

महोदय,

एतद्वारा यह पुष्टि एवं घोषणा की जाती है कि..... को वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी क्षेत्र या किसी अन्य संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं किया गया है जिसके लिए कार्य/असाइनमेंट/सेवाएं निष्पादित/शुरू की गई हैं।

भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

मोहर:

स्थान:

दिनांक:

प्रारूप-3

गैर-मुकदमेबाज़ी के संबंध में वचनबद्धता  
(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,  
महानिदेशक,  
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद,  
वी. रामलिंगस्वामी भवन,  
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.

**विषय:** गैर-मुकदमेबाज़ी के संबंध में वचनबद्धता।

**संदर्भ:** ईओआई सं परिषद/ईओआई/विधिक/2025 दिनांक 31 सितंबर 2025

महोदय,

एतद्वारा पुष्टि और घोषणा की जाती है कि ..... का किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, जिसके साथ कोई सहमति ज्ञापन (एमओयू)/अनुबंध का कार्यभार लिया गया है/निष्पादित किया गया है, के साथ कोई मुकदमेबाज़ी/ माध्यस्थता करने का मामला नहीं रहा है।

भवदीय,

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:  
पदनाम:  
मोहर:

स्थान:  
दिनांक: